हान/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थना से
पत्रावली वास्ते...देखने...प्रार्थी व विपक्षी व 5
दिनांक ..17/11/25..... को पेश हो।

17/11/25

पत्रावली पेश है। प्रार्थी वकील एवं विपक्षी वकील उपस्थित हैं। विपक्षी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं कर सिर्फ बहस के लिए निवेदन किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण अन्तर्गत धारा 53 सिविल का है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः नये सिरे से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाकर पत्रावली मूल प्रकरण के साथ संलग्न किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर पेश शुमार होकर नम्बर से दर्ज हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयपुर